रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223844
CG-DL-E-21122020-223844

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/अग्रहायण 30, 1942
No. 647] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 779(अ).—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001(2001 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (i) और धारा 14क और 14ख की उप-धारा (1) के खंड (छ) और (ण) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (च), (छ), (ट), (ठक) और (ठकक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ब्यूरो के परामर्श से और ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके अधीन, तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के तेल समकक्ष का प्रति मीट्रिक टन मूल्य) नियम 2020 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके अधीन, तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन

की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के तेल समकक्ष का प्रति मीट्रिक टन मूल्य) संशोधन नियम 2020 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके अधीन, तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के तेल समकक्ष का प्रति मैट्रिक टन मूल्य) नियम 2012 में, उप-नियम (2) के बाद नियम 16 में निम्नलिखित उप-नियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2क) इन नियमों के उद्देश्य से खपत की जाने वाली ऊर्जा के बराबर प्रति मैट्रिक टन तेल का मूल्य वर्ष 2018-19 के लिए अठारह हजार चार सौ दो रुपए मात्र होगा और बाद के वर्षों के लिए लक्ष्य इस प्रकार होंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।"

स्पष्टीकरण:- ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मानदंड और मानक प्ररूप समय जिसके अधीन, तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और नियम, 2012 के नियम 16, उप नियम (2क) के प्रयोजन के लिए खपत की गई ऊर्जा के तेल समकक्ष का प्रति मैट्रिक टन मूल्य) वर्ष 2018-2019 में खोजे गए तेल के एक मैट्रिक टन का मूल्य निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना के अधीन नए क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम रिफाइनरी, रेलवे और विद्युत वितरण कंपनियों के अतिरिक्त, संबंधित ऊर्जा मिश्रण में हुए परिवर्तन और अधिसूचना सा.का.नि.373 (अ.) तारीख 31 मार्च, 2016के अनुसार मूल्य गणना पद्धति को आगे और युक्तिसंगत बनाने पर आधारित है।

[फा.सं. 11-10/3/2020-ईसी]

राजपाल, ज्येष्ठ सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 269 (अ.) तारीख 30 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 373 (अ.) तारीख 31 मार्च, 2016, अधिसूचना संख्यांक सा. का.नि. 409 (अ.) तारीख 26 अप्रैल 2018 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2020

G.S.R. 779 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f), (g), (k), (la) and (laa) of sub-section (2) of section 56, read with clauses (g) and (o) of sub-section (i) section 14, sub section (1) of section 14 A and section 14B of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with Bureau, hereby makes the following Rules further to amend the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules 2020, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rule may be called the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Amendment Rules , 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Energy conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed), Rule 2012, in rule 16 after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
"(2A) The value of per metric tonne of oil equivalent of energy consumed for the purpose of these rules shall be eighteen thousand four hundred and two rupees only for the year 2018-19 and for the succeeding target years shall be such amount as may be specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette."

Explanation: For the purpose of the sub rule (2A) of rule 16 in the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012, the price of one metric tonne of oil equivalent discovered for the year 2018-2019 is based on the changes in corresponding energy mix due to addition of new sectors viz. Petroleum Refinery, Railways and Electricity Distribution companies under the Perform, Achieve and Trade Scheme and further streamlining of price calculation methodology, as per notification G.S.R. 373 (E), dated the 31st March, 2016.

[F. No. 11-10/3/2020-EC]

RAJ PAL, Senior Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 269 (E), dated the 30th March, 2012 and were amended vide notification G.S.R. 373(E), dated the 31st March, 2016 G.S.R. 409(E), dated the 26th April 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.21 22:26:21 +05'30'